संख्या 503/VI-I/2009 – 2(5) 2009

प्रेषक,

एस0एस0वल्दिया,
उपसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
देहरादून।

खेल एवं युवा कल्याण अनुभाग: देहरादूनः दिनांक 03 दिसम्बर 2009

विषय 12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत देहरादून के जिला खेल कार्यालय भवन की रंगाई,पुताई व अन्य कार्य तथा बहुउद्देशीय कीड़ा हाल, परेड ग्राउण्ड देहरादून में विद्युतीकरण अनुरक्षण कार्यो के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1630/12वां.वि.आ.प./2009–10/दे.दून/दिनांक 26 अगस्त 2009 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि 12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत जिला खेल कार्यालय भवन की रंगाई,पुताई व अन्य कार्य तथा बहुउद्देशीय कीड़ा हाल, परेड ग्राउण्ड देहरादून में विद्युतीकरण अनुरक्षण कार्यो हेतु ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, प्रखण्ड देहरादून के आगणन में कमशः रू0 2.49 लाख तथा रू0 5.30 लाख के सापेक्ष संस्तुत आगणन कमशः रू0 2.24 लाख (रू0 दो लाख चौबीस हजार) तथा रू0 3.43 लाख (रू0 तीन लाख तितालिस हजार मात्र)अर्थात कुल रू0 5.67 लाख(रू0 पाच लाख सड़सठ हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

2. मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता हैं कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक हैं। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए ।

3. धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही हैं व्यय में मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों /आदेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजे।

4. धनराशि का एक मुश्त आहरण न करके आवश्यकतानुसार मासिक व्यय की समय सारिणी बनाकर ही आहरण किया जायेगा। आवंटित धनराशि की व्यय की संकलित सूचना बी.एम.–13 पर प्रतिमाह अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जायेगी।

5. धनराशि किसी भी दशा में व्ययवर्तन नहीं किया जायेगा। धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृति की जा रही है।

6. धनराशि का आहरण बजट व्यवस्था की सीमा से, अधिक नही किया जायेगा।

7. उत्तराखण्ड प्रॉक्यौरमेन्ट रूल्स 2008 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्य कराया जायेगा।

8. अनुरक्षण कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण–पत्र 31 दिसम्बर 2009 तक उपलब्ध करा दिये जाये ताकि भारत सरकार से धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु अनुरोध किया जा सकें।

9. इस सम्बंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2009–10 के उपर्युक्त अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक –2059–लोक निर्माण कार्य–80–सामान्य–053–रख–रखाव तथा मरम्मत– आयोजनेत्तर –01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं–0101–12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत भवनों का अनुरक्षण–29–अनुरक्षण के नामें डाला जायेगा।

10. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–329 (NP)/XXVII(3)/2008 दिनांक 30 नवम्बर 2009 द्वारा प्रदत्त आदेश से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(एस0एस0वल्दिया)
उपसचिव

पृष्ठांकन संख्या 503/VI-I/2009 – 2(5) 2009 तद्दिनांकित ।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड ।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. जिला कीडा अधिकारी, देहरादून।
5. बजट राजकोषीय संसाधन निदेशालय देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
7. एन0आई0सी0, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0वल्दिया)
उपसचिव